उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः — /XXVII(7)/18–50(14)/2017
देहरादूनः दिनांक 23 जनवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में दिल्ली में तैनात राज्य सरकार के अधिकारियों/ कर्मचारियों को शासनादेश संख्या–399/XXVII(7)/2009 दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 द्वारा स्वीकृत परिवहन भत्ता की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निम्नवत् पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि रू0 में)

क्र.सं.	वेतन मैट्रिक्स लेवल	परिवहन भत्ता प्रतिमाह
1	2	3
1	वेतन मैट्रिक्स लेवल– 10 व उससे ऊपर	5000/–
2	वेतन मैट्रिक्स लेवल– 7 एवं 8	2500/–
3	वेतन मैट्रिक्स लेवल– 6 व उससे नीचे	1000/–

2. यह भत्ता केवल उत्तराखण्ड राज्य सरकार के दिल्ली में तैनात नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को ही अनुमन्य होगा तथा जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा वाहन उपलब्ध कराया गया है, उन्हें उक्तानुसार परिवहन भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 28 (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
4. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
5. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
6. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
7. वित्त अधिकारी, भुगतान एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली।
8. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
9. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

I.T
Upload on 2016
24.01.19

Modo - manage your online data. Learn More>